

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 357]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 28, 1970/अश्विन 6, 1892

No. 357]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 28, 1970/ASVINA 6, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ सख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

**MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND
COOPERATION**

(Department of Food)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th September 1970

S.O. 3180.—Whereas the Central Government is of opinion that the working of the sugar industry, and the various problems relating thereto require a detailed and comprehensive examination, particularly in the context of the demand for nationalisation of the said industry;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 3 of the Commissions of Inquiry Act, 1952 (60 of 1952), the Central Government hereby appoints a Commission of Inquiry consisting of the following person, namely:—

Chairman

1. Shri Deep Narain Sinha, retired Chief Justice of the Calcutta High Court.

Members

2. Shri J. C. Dikshit, General Secretary, Indian National Trade Union Congress, U.P. Branch.
3. Shri B. N. Khosla, Industrial Consultant, Greater Kailash, New Delhi.
4. Dr. Dharam Narain, Chairman, Agricultural Prices Commission.

Member (ex-officio)

5. Director, National Sugar Institute, Kanpur.

Members

6. Shri Vasant Rao Patil, Chairman, Maharashtra State Cooperative Bank.
7. Shri Fazlur Rehman, M.L.C. Bihar.
8. Lala Bansi Dhar, Vice-President, Indian Sugar Mills Association.
9. Shri A. C. Bose, retired Joint Secretary to the Government of India, Department of Company Affairs.

Member-Secretary

10. Shri R. H. Chisti, I.A.S. (Retired) 4, Secretariat Bungalow, Mall Avenue, Lucknow

2. The Chairman and the Secretary shall be whole-time members and the other members shall be part-time members of the Commission.

3. The terms of reference to the Commission shall be as follows:—

- (i) to study the working of the sugar industry in India in all its aspects, with particular reference to its performance during the last ten years and the condition of the plant and machinery in different sugar mills;
- (ii) to identify the inadequacies in the performance of the sugar industry and the causes thereof;
- (iii) to study in detail the causes for the existence of a large number of sick sugar mills;
- (iv) to study the progress and the working of sugar mills in the co-operative sector;
- (v) to make suggestions, in the light of such studies, for a rational and efficient organisation of the sugar industry in different parts of the country, in order to improve its working and performance, and to suggest measures for solving the problem of sick sugar mills, in the context of the demand for nationalisation of the sugar industry;
- (vi) to study the relationship between sugarcane suppliers and the owners of sugar mills, with particular reference to the supply of cane and the payment of cane price and to make suggestions for improvement in the present laws and practices in this behalf;
- (vii) to study the problem of large fluctuations in sugarcane production and its processing into gur, khandasari and sugar and to make suggestions for securing stable conditions with a view to achieving a balanced development in these fields; and
- (viii) in the light of the foregoing studies, to suggest a blue-print for the development of the sugar and allied industries over a period of the next ten to fifteen years.

4. The Headquarters of the Commission shall be in New Delhi.

5. The Commission shall hold its inquiry and submit its report to the Central Government by the 31st August, 1971. It may, if it deems fit, submit an interim report(s) on any specific problem(s).

[No. F. 12-2/69-Sugar.]
K. P. MATHRANI, Secy.

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 सितम्बर 1970

एस० ओ० 3180.—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि चीनी उद्योग के कार्य करण और उससे संबंधित विभिन्न समस्याओं की विशेष रूप से उक्त उद्योग के राष्ट्रीयकरण की मांग के प्रसंग में, विस्तृत और व्यापक परीक्षा अपेक्षित है;

अतः, अब, जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा एक जांच आयोग नियुक्त करती है जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थातः—

अध्यक्ष

1. श्री दीप नायायण सिन्हा, सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, कलकत्ता उच्च न्यायालय ।

सदस्य

2. श्री जे० सी० दीक्षित, महासचिव, इंडियन नेशनलड यूनियन काँग्रेस, उत्तर प्रदेश शाखा ।
3. श्री बी० एन० खोसला, औद्योगिक परामर्शदाता, ग्रेटर कैलाश, नई दिल्ली ।
4. डा० धरम नारायण, अध्यक्ष, कृषिक कीषत आयोग ।

सदस्य (पदेन)

5. निवेशक, नेशनल शूगर इंडस्ट्रीट्यूट, कानपुर ।

सदस्य

6. श्री वसंतराव पाटिल, अध्यक्ष, महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ।
7. श्री अजर्लूरहमान, सदस्य विधान परिषद, बिहार ।
8. लाला बंसीधर, उपाध्यक्ष, इंडियन शूगर मिल्स एसोसियेशन ।
9. श्री ए० सी० बोष, सेवानिवृत्त संयुक्त सचिव, भारत सरकार, कंपनी कार्य विभाग ।

सदस्य सचिव

10. श्री आर० एच० चिप्टी, भा० प्र० से० (सेवानिवृत्त) 4, सेक्रेटेरियट बंगला, माल एवेन्यू, लखनऊ ।

2. अध्यक्ष और सचिव आयोग के पूर्णकालिक सदस्य और अन्य सदस्य अंशकालिक सदस्य होंगे ।
3. आयोग को निवेश निबन्धन निम्नलिखित होंगे:—

- (i) भारत में चीनी उद्योग के कार्यकरण के सभी पहलुओं का, विशेष रूप से गत दस वर्षों में इसके कामकाज तथा विभिन्न मिलों में संयंत्र और मशीनों की दशा के संदर्भ में अध्ययन करना;
- (ii) चीनी उद्योग के कामकाज में कमियों और उनके कारणों का पता लगाना;
- (iii) इतनी बड़ी संख्या में अव्यवस्थित चीनी मिलों की विद्यमानता के कारणों का विस्तृत अध्ययन करना;
- (iv) सहकारी सेक्टर में चीनी मिलों की प्रगति और कार्यकरण का अध्ययन करना;
- (v) चीनी उद्योग के कार्यकरण और कामकाज में सुधार के उद्देश्य से ऐसे अध्ययन के आधार पर देश के विभिन्न भागों में चीनी उद्योग के युक्तियुक्त और कुल संगठन के लिए सुझाव देना तथा चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण की मांग के संदर्भ में ; अव्यवस्थित चीनी मिलों की समस्या को सुलझाने के लिए उपायों का सुझाव देना
- (vi) गन्ना प्रदायकों और चीनी मिल स्वामियों के बीच संबंध का गन्ने के प्रदाय और गन्ने की कीमत के संदाय के विशेष संदर्भ में अध्ययन करना और इस निमित्त विद्यमान विधि और पद्धति में सुधार के लिए सुझाव देना;
- (vii) गन्ना उत्पादन में और उससे गुड़, खण्ड और चीनी की तैयारी में अत्यधिक उतार चढ़ाव की समस्या का अध्ययन करना और इन क्षेत्रों में संतुलित विकास प्राप्त करने की दृष्टि से स्थिर दशाओं सुनिश्चित करने के लिए सुझाव देना; तथा
- (viii) पूर्ववर्ती अध्ययन के आधार पर आगामी दस-पन्द्रह वर्षों की कालावधि तक चीनी और सहकराद्योगों के विकास के लिये ब्लूप्रिन्ट तैयार करना ।

4. आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा ।

5. आयोग अपनी जांच करके के केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट 31 अगस्त, 1971 तक देगा । वह, यदि उचित समझे तो, किसी विशेष समस्या/समस्याओं पर अन्तरिम रिपोर्ट / रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकता है ।

[सं० फा० 12-2/69-शुगर.]

के० पी० मयराणी, सचिव ।